

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प.6()आ0कृ0/गु0नि0/2015-16/13465-13523

दिनांक :- 1/03/16

- 1 क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, चौमू हाउस, जयपुर
- 2 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम लि0, जयपुर
- 3 प्रबन्ध निदेशक, तिलम संघ, सहकार भवन, जयपुर
- 4 वरिष्ठ विपणन, प्रबन्धक, कृभको, सहकार भवन, जयपुर
- 5 वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक, इण्डियन फॉर्म फोरेस्ट्री कॉर्पोरेटिव लि. 220/25, मेहता विला, पानेरियों की मादडी, मनामा मोटर्स के पीछे, हिरणमगरी, मैन रोड, सैक्टर-5, उदयपुर-313002
- 6 उपमहाप्रबन्धक बीज विपणन, हिन्दुस्थान इन्सेक्टिसाईड लि. स्कॉप काम्पलेक्स, कोर-6, द्वितीय तल, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:-बीज विधायन केन्द्रों से अमानक व निरस्त (Rejected) बीजों को बीज उत्पादकों/कृषकों को वापस लौटाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बीज विधायन केन्द्रों द्वारा राज्य के कृषकों को बुवाई के लिये उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न संस्थाओं/बीज उत्पादकों के माध्यम से विभिन्न फसलों का बीज उत्पादन कराया जाता है। संस्थाओं/बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीज फसल मौसम से पूर्व विधायन केन्द्रों पर जमा कराया जाकर विधायन/श्रेणीकरण/गुणवत्ता/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया विधायन केन्द्रों द्वारा सुनिश्चित की जाकर निर्धारित पैकिंग में विक्रय हेतु बाजार में उपलब्ध कराये जाते हैं।

संस्थाओं/बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीजों का निगम द्वारा विधायन (ग्रेडिंग/पैकिंग) के दौरान कुछ लॉट प्रयोगशाला द्वारा अमानक घोषित हो जाते हैं एवं कुछ लॉट निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण बीज विधायन केन्द्रों द्वारा निरस्त किये जाकर उक्त दोनों प्रकार के लॉट बीज उत्पादकों को वापस लौटाये जाते हैं जिससे बीज उत्पादकों द्वारा उक्त प्रकार के बीजों को बाजार में विक्रय कर कृषकों को निम्न गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति होने की संभावना बनी रहती है।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि आगामी खरीफ मौसम से बीज विधायन केन्द्रों पर अमानक व निरस्त किये गये बीजों के लॉट फसल बुवाई समाप्त होने के उपरांत ही बीज उत्पादक संस्थाओं/कृषकों को वापस लौटाये जाने की सुनिश्चितता की जावे।

(डॉ० नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन

सचिव कृषि, राजस्थान

दिनांक :- 1/03/16

क्रमांक:-प.6()आ0कृ0/गु0नि0/2015-16/13465-13523

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक 1561-65 दिनांक 29.02.2016 की पालना के क्रम में।
- 4 अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/अनुसंधान) कृषि.आयुक्तालय, जयपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
- 6 परियोजना निदेशक कृषि सीएडी कोटा/संयुक्त निदेशक कृषि (वि0/तिलहन) समस्त।
- 7 उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद समस्त/ उपनिदेशक कृषि (वि0) आईजीएनपी, बीकानेर।
- 8 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
- 9 सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

1.03.16

(कै. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (गु0 नि0)